

ज्यासालय में उपस्थित होने से अदालत
पेशी अदालत हाजिरी में किया गया। (आदेश
अपान्त किया जाता है) पत्रावली विषयित
लेखर द्वारा दिनांक 29/8/19 को पेश हो।

(उरु)
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

29/8/19

पत्रावली पेश हुई। वादी के वकील ने
Not Press कर निवेदन किया कि हमारे
क्यापस में समझौता हो गया है हम वाद
को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। हमने
पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं पत्रावली का
अवलोकन किया।

वादी वकील द्वारा वाद को नहीं
चलाने एवं Not Press करने से वादी
का वाद Not Press में खारीज किया जाता
है। पत्रावली फंसल थ्रुपार लेकर नम्बर
सं कम हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

(उरु)
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

प्रकरण चलाना
Not Press
J. M.
(Admin Pla)